न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री कन्हैयालाल स्वामी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 75/2017

मदनलाल पुत्र रामचन्द्रदास जाति स्वामी निवासी सरदारपुरा खर्था तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

---अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ। --रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 76 राज.भू-रा.अधि. 1956

विरूद्ध आदेश अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ दिनांक 05.06.2017 एवं तहसीलदार सरूतगढ दिनांक 15.09.2015

उपस्थितिः-

श्री कैलाश पारीक, अभिभाषक अपीलार्थी।

श्री श्याम सुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 28/11/18

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 15.09.2015 से अपीलांट को ग्राम सरदारपुरा खर्था के प.नं. 188/1 एवं 167/1 की 1.012है0 भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने, तावान कायम करने तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश दिये हैं। उक्त आदेश की अपीलांट ने अति.कलक्टर सूरतगढ के समक्ष प्रथम अपील पेश की। अति.कलक्टर सूरतगढ ने अपने आदेश दिनांक 05.06.2017 से अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तीन माह की सिविल कारावास के स्थान पर एक माह के सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की।

उभयपक्ष की बहस सुनी।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर काश्त नहीं की। पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है। अपीलांट को बेदखल करने, तावान कायम करने एवं सिविल कारावास से दण्डित करने के आदेश दिये हैं जो कानूनी रूप से गलत है। साथ ही अपीलांट ने यह भी निवेदन किया कि वह एक सदभावी काश्तकार है। ऐसी स्थिति में उसके विरूद्ध पारित सिविल कारावास सजा के आदेश पर सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास पूर्णतया माफ किया जावे। अपीलांट द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा हटा लिया है, इस सम्बन्ध में अधी. न्यायालय में शपथ पत्र पेश कर दिया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट पश्चातवर्वी अतिक्रमी है। उसके द्वारा सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। ऐसी स्थिति में अति.कलक्टर सूरतगढ द्वारा अपीलांट के प्रति नरम रूख अपनाते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है जो उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट ने इस न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया है कि उसके द्वारा दो वर्ष पूर्व ही उक्त भूमि से अपना कब्जा हटा लिया था एवं वर्तमान में उसका इस भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। विवादित भूमि बाबत यदि कोई सीमा ज्ञान का विवाद/बिन्दु है तो अपीलांट को अपनी कृषि भूमि की पैमाईस/सीमा ज्ञान का अधिकार प्राप्त है एवं अधी. विचारण न्यायालय ने अपीलांट को उसकी खातेदारी भूमि से बेदखल करने का कोई आदेश भी पारित नहीं किया है। इस प्रकरण में अपीलांट को विचारण न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया था जिसका कोई जबाब/खण्डन अपीलांट ने नहीं किया था। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय के विनम्र मत में अधी. न्यायालय/विचारण न्यायालय के आदेश जिसमें उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते

हुए आदेश पारित किया है में कोई अवैधानिकता नहीं है एवं अधी. न्यायालय अति. कलक्टर सूरतगढ द्वारा सहानुभूति का रूख रखते हुए सिविल कारावास के दण्ड को कम करने का जो आदेश दिया है उसमें किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है एवं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप भी उचित प्रतीत नहीं होता है परन्तु अपीलांट ने इस न्यायालय के समक्ष भी अपनी बहस में सिविल कारावास की सजा के बिन्दु पर सहानुभूति का रूख रखने की इस्तदुआ की है मौके पर अवैध कब्जा हटाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तैयार की हुई पत्रावली पर उपलब्ध है एवं आशय का शपथ पत्र भी पत्रावली पर उपलब्ध है। चूंकि अपीलांट एक काश्तकार व्यक्ति है। अतः यह न्यायालय भी अपीलांट के विरूद्ध सहानुभूति का रूख अपनाते हुए सिविल कारावास के सम्बन्ध में यह आदेश देना उचित समझता है कि यदि अपीलांट अधी. विचारण न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ के समक्ष विवादित भूमि से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटाने व इस भूमि पर भविष्य में अवैध कब्जा नहीं करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करें एवं तहसीलदार स्वयं की मौका जांच में शपथ पत्र के तथ्य सही पाये जाए तो केवल सिविल कारावास निरस्त समझी जावे अन्यथा स्थिति में एक माह का सिविल कारावास का आदेश यथावत रहेगा। अपीलांट के विरूद्ध पारित बेदखली व तावान का आदेश इस आदेश से प्रभावित नहीं होगा साथ ही ऐसी स्थिति में तहसीलदार सूरतगढ को निर्देश भी दिये जाते हैं कि अपीलांट द्वारा भविष्य में अतिक्रमण करने पर उसे पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर उसके विरूद्ध कार्यवाही अमल में लाई जावे। इस प्रकार अधी. न्यायालय द्वारा पारित बेदखली व तावान का आदेश यथावत रखते हुए सिविल कारावास के सन्दर्भ में उक्तानुसार सशर्त आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28/11/18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/11/18

(कन्हैयालाल स्वामी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर